(ग) सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करने में उनके मंत्रालय की भूमिका क्या है; और

(घ) उक्त संयंत्र को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) से (घ) मंत्रालय ने मैसर्स सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गुजरात के कच्छ जिले में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 16 जून, 1995 के अपने पत्र के तहत छूट प्रदान कर दी है। सीमेंट संयंत्र के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र अनुमति अपेक्षित नहीं है। यह पता चला है कि सीमेंट संयंत्र का लगभग 85% निर्माण पूरा हो चुका है।

ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी

3397. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी से, परियोजनाओं को स्वीकृति और उनके निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनको स्वीकार करने के संबंध में ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की प्रतिक्रिया क्या थी; और

(घ) क्या ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ने भारत द्वारा अग्रेषित कतिपय सुझावों को भी अमल में लाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) से (घ) जी, हां। नई दिल्ली में 1 से 3 अप्रैल, 1998 को आयोजित विश्व पर्यावरण सुविधा (जी ई एफ) असेम्बली की पहली बैठक के दौरान भारत द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे:

(1) नवीन और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में परियोजनाओं के निधिकरण के लिए जी ई एफ क्रियाविधि काफी लचीली होनी चाहिए।

(2) भूमण्डलीय लाभों के संदर्भ में विशेषकर जैव विविधता संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं के लिए सम्मत पूर्ण संवृद्धि लागत (एग्रीड फुल इंक्रीमेंटल कास्ट) के परिकलन को सरल, लचीला और व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए।

(3) परियोजना अनुमोदन की मौजूदा लम्बी प्रक्रिया को, प्राधिकार प्रत्यायोजन के साथ-साथ सरल बनाने की आवश्यकता है।

(4) विश्व पर्यावरण सुविधा की प्रचालनात्मक नीति को अधिक लचीली बनाया जाना चाहिए, विश्व पर्यावरण सुविधा निधि आसानी से प्राप्त हो सके तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विश्व का पर्यावरण सुविधा असेम्बली की बैठक के दौरान भारत द्वारा दिए गए सुझावों का, भाग लेने वाले अन्य विकासशील देशों द्वारा समर्थन किया गया। जीईएफ द्वारा इन सुझावों का स्वागत किया गया और कुल मिलाकर उन्हें मान लिया गया। जिन्हें असेम्बली की बैठक के अंत में अंगीकृत नई दिल्ली वक्तव्य (विवरण के रूप में प्रति संलग्न) में दर्शाया गया है। **(नीचे देखिए)**

विवरण

अप्रैल 3, 1998

प्रथम ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एसेम्बली का नई दिल्ली वक्तव्य

ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की सभा 1—3 अप्रैल, 98 तक पहली बार नई दिल्ली में होकर,

सभा की मेजबानी उदारता, अतिथि-सरकार तथा सभी प्रतिभागियों के लिए किए गए उत्कृष्ट प्रबंधों के लिए भारत की सरकार तथा लोगों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए,

इस सभा में प्रतिभागी देशों के ग्लोबल इनवायरमेंट फैसिलिटी के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए,

यह मानते हुए कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी नए तथा अतिरिक्त अनुदान तथा छूट राशि प्रदान करवाकर सतत विकास के ढांचे के भीतर, विश्व पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देने वाली, बहुपक्षीय निधिकरण यांत्रिकी है,

यह भी मानते हुए कि विश्व के सभी लोग इसके लाभ प्राप्तकर्ता हैं तथा जीईएफ की आवश्यकता और भी ज्यादा है चूंकि हम इस बात पर जोर देते हुए कि जीईएफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एकमात्र तथा सफल उदाहरण है जो अन्य प्रयत्नों के लिए शिक्षाप्रद है,

स्वीकृत विश्व पर्यावरणीय सभाओं और प्रोटोकोलों, जैसे कि जैव-विविधता पर सभा, जलवायु बदलाव पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कैन्वेशन और क्योटो प्रोटोकोल, वियना कनवेंशन तथा ओजोन लेवर को कमजोर करने वाले तत्वों पर मॉनट्रियल प्रोटोकोल तथा मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु यू०एन० कनवेंशन के उद्देश्यों के समर्थन में जीईएफ की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए,

जी०ई०एफ० इसकी क्रियान्वयन संबंधी ऐजेंसियों (यू०एन०डी०पी०) (यू०एन०ई०पी० तथा विश्व बैंक) और सचिवालय, इसकी इस संगठन तथा प्रबंधन में पुनः संरचना के चार वर्ष में, इसके संस्थानिक तथा आपरेशनल फ्रेमवर्क की स्थापना करने में तथा विकासशील देशों तथा संक्रमणाधीन अर्थव्यवस्था वाले देशों के विश्व पर्यावरणीय सुधारों तथा रियो-कनवैशनों को लागू करने में उनके प्रयत्नों में सहायता के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार करते हुए,

इससे आगे कार्यनीति संबंधी सलाह देने में तथा परियोजनाओं की समीक्षा करने में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सलाहाकारी पैनल (एस०टी०ए०पी०) के उत्कृष्ट कार्य को स्वीकार करते हुए जी०ई०एफ० ट्रस्ट फंड की 2.75 डालर बिलियन की दूसरी आपूर्ति जो जी० ई० एफ० को विश्व पर्यावरणीय लक्ष्यों तथा सतत विकास को बढ़ावा देने में इसके सफल प्रयत्नों को जारी रखने योग्य बनाएगी, का स्वागत करते हुए।

जी० ई० एफ० के समस्त कार्य निष्पादन, जी० ई० एफ० परियोजना पाठों के अध्ययन, जी० ई० एफ० परियोजना क्रियान्वयन पुनरीक्षण, तथा नीतियों पर सी० ई० ओ० की रिपोर्ट जी० ई० एफ० का संचालन तथा भविष्य में विकास के संबंध में विश्लेषण तथा अनुशंसाओं पर निर्णयों तथा चित्रांकन को उपयुक्त मानते हुए।

इस बात पर सहमति प्रदान करती है कि जी० ई० एफ० की बढ़ती हुई जरूरतों की पूर्ति तथा इसके बहुप्रयोजन मिशनों को पूरा करने के लिए :

1. जी० ई० एफ० "कटिंग ऐज" पर, अभिनवकर्ता, तथा इसके प्राप्तक देशों की आवश्यकताओं के लिए लचीली तथा जवाबदेह और उसी प्रकार से दूसरे संस्थानों तथा प्रयत्नों के लिए उत्प्रेरक के रूप में एक सुविधा रहनी चाहिए।

2. जी० ई० एफ० की गतिविधियां देश-चालित होनी चाहिए तथा जी० ई० एफ० परियोजनाओं के देशी स्वामित्व के लिए प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए इसकी प्राप्ति के लिए।

(क) जी० ई० एफ० गतिविधियां सतत् विकास तथा विश्वव्यापी पर्यावरण की सहायता के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित होनी चाहिए।

(ख) जी० ई० एफ० को और लम्बी पंहुच तथा संचार के लिए एक कार्यनीति का विकास तथा क्रियान्वयन करना चाहिए जो विश्व पर्यावरण तथा जी० ई० एफ० की विश्वव्यापी चेतना को बढ़ावा देने की दृष्टि से जी० ई० एफ के बहु-क्षेत्रों पर ध्यान रखें तथा जी० ई० एफ० की गतिविधियों के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों तथा स्थानीय समुदायों से प्राप्त परामर्श को बढ़ावा दे।

(ग) जी० ई० एफ० को देश-स्तरीय समन्वय को सुदृढ़ करने तथा जी० ई० एफ० द्वारा वित्तपोषित गतिविधियों के परियोजना ढांचा तैयार तथा उसे क्रियान्वित करने में स्थानीय तथा क्षेत्रीय विशेषज्ञों और समुदाय समूहों की क्रियात्मक भागीदारी सहित असली देशी स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना का विकास करना तथा इसे लागू करना चाहिए।

3. जी० ई० एफ० को जी० ई० एफ० के वित्तपोषण द्वारा हुए, विश्व-पर्यावरण की सततता को सुनिश्चित करने वाले लाभों की तरफ प्रयत्नों को बढ़ावा देना चाहिए तथा क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए दूसरे के समन्वय हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए।

4. जी० ई० एफ० को परियोजना की तैयारियों को और अधिक साधारण, पारदर्शी तथा अधिक राष्ट्र-चालित बनाने की दृष्टि से इसके परियोजना चक्र को और अधिक सरल करना चाहिए।

5. जी० ई० एफ० को विश्व पर्यावरणीय लाभों को अधिकता प्रदान करने की दृष्टि से लम्बी अवधि वाली योजना तथा बहु-वर्षीय सहायता प्राप्त कार्यक्रमों को हाथ में लेना चाहिए।

6. जी० ई० एफ० के लिए बढ़ती हुई लागतों के सिद्धान्त की महत्ता को पहचानते हुए, इसकी परिभाषा को अधिक स्वाभाविक बनाया जाना चाहिए जी० ई० एफ०

को, बढ़ती हुई लागतों के निर्धारण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा इसके उपयोग को और अधिक व्यावहारिक बनाना चाहिए।

7. जी० ई० एफ० एक ज्ञान हब्ज़ी बनी रहनी चाहिए और इसकी मॉनीटारिंग तथा मूल्यांकन कार्यों को सुदृढ किया जाना चाहिए तथा प्रापक देशों द्वारा नई प्रोद्योगिकियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इसकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अनुभव से प्राप्त ज्ञान के प्रसार के लिए प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

8. यू० एन० कन्वैंशन के सचिवालय के परामर्श से मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जी० ई० एफ० को भूमि के अवक्रमण विशेष कर मरुस्थलीकरण तथा वन कटाव और इसके मुख्य क्षेत्रों तथा भूमि के अवक्रमण संबंधी गतिविधियों के लिए जी० ई० एफ० की सहायता को बढ़ाने चूंकि वे जी० ई० एफ० के मुख्य क्षेत्रों से संबंधित हैं, के बीच अनुबन्धों को और अधिक अच्छे ढंग से परिभाषित करना चाहिए।

9. जी० ई० एफ० क्रियान्वयन एजेंसियों को विश्व पर्यावरणीय कन्वैंशन के साथ क्रियान्वयन ऐजेंसियों के शासी निकायों के प्राधिकरण का पालन करते हुए उनके नियमित कार्यों और समनुरूप की परिस्थितियों के भीतर विश्वव्यापी पर्यावरणीय लाभों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

10. जी० ई० एफ० को विश्वव्यापी वैज्ञानिक समुदाय विशेषकर प्रापक देशों में राष्ट्रीय वैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिक संस्थानों के साथ प्रगाढ़ संबंध तथा नेटवर्क स्थापित करने चाहिए।

11. जी० ई० एफ० को द्विपक्षीय विधिकरण संगठनों सहित दूसरे स्त्रोतों के द्वारा इसकी गतिविधियों के समन्वय तथा सह-वित्तप्रबन्ध को बढ़ावा देना चाहिए तथा दस्तावेज के पैरा 28 में उल्लिखित तत्वों विशेषकर क्षेत्रीय विकास बैंकों तथा गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा गतिविधियों के क्रियान्वयन के अवसरों को विस्तृत करना चाहिए।

12. जी० ई० एफ० को सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही स्त्रोतों से अतिरिक्त संसाधन लाभबन्द करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जी० ई० एफ० को एक प्रायोगिक बदलाव के लिए मंच के रूप में निजी क्षेत्र के लिए भागेदारी तथा उसी प्रकार से निजी-सार्वजनिक संयुक्त उद्यमों के लिए नए अवसरों की खोज करनी चाहिए।

देश की एक-तिहाई भूमि को वन-भूमि में परिवर्तित किया जाना

3398. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की कुल भूमि में से एक-तिहाई भूमि को वन-भूमि में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु श्री ए० के० मुखर्जी की अध्यक्षता वाली किसी समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को यह प्रतिवेदन किस तारीख को प्राप्त हुआ था, इस प्रतिवेदन का पूर्ण ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रतिवेदन के क्रियान्वयन के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) जी, हां

सरकार ने वनीकरण नीतियों तथा परती भूमियों के पुनरूद्धार के पुनरीक्षण हेतु निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के संदर्भ में श्री ए० के० मुखर्जी, वन महानिरीक्षक (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी:—

1. वनीकरण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पुनरीक्षण करना तथा निधिकरण संसाधनों में वृद्धि सहित देश में वनीकरण गतिविधियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए अन्योपायों का सुझाव देना।
2. भारत सरकार के वनीकरण उद्देश्यों के लिए वर्तमान संस्थानिक प्रबंधों की पुनरीक्षा करना और अच्छी कार्यक्षमता एवं समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त बदलाव के संबंध में सुझाव देना।
3. संयुक्त वन प्रबंधन संबंधी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए देश में संयुक्त वन प्रबंधन (जे० एफ० एम०) कार्यक्रम के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा करना तथा कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त बदलाव संबंधी सुझाव देना।

(ख) जी, हां।